न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145/2016

1. कृपालसिंह पुत्र बाकरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. पहलवानसिंह पुत्र बाकरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

————अपीलार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह
2. फूलासिंह
3. दुलासिंह
4. रूलियासिंह

पिसरान सरदारसिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणुपर जिला श्रीगंगानगर ।

5. मु. जीतो पत्नी मेहरसिंह पुत्री बाकरसिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद अलयाणा तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का पंजाब ।
6. मु.वीरो पत्नी हरबंससिंह पुत्री बाकरसिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद अलयाणा तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का पंजाब।

——रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर

दिनांक 25.10.2016

उपस्थितिः—

श्री काशीराम रणवा , अभिभाषक अपीलांट।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

श्री गुरप्रीतसिंह अभिभाषक रेस्पो. सं0 1 से 4

श्री विजय रेवाड़ अभिभाषक रेस्पो0 सं. 5, 6

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांक :– 31.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो.सं .1 से 4 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 183 का पेश कर चक 13 एसए के मु.न. 12 के कि.न. 13/2 , 18 से 23 की 1.328 है. भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाने के अनुतोष का पेश किया ।प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया । दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 5 वाद बिन्दु कायम किये गये । सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 25.10.2016 को वाद स्वीकार कर लिया । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि संयुक्त खाता में है अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है सयुक्त खाता में होने से विवादित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। संयुक्त खाता की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त होता है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है । अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के वाद स्वीकार किया है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है जिस पर वादीगण ने अधी.न्यायालय

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में वाद पेश किया जो सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणुप के निर्णय दिनांक 25.10.2016 के विरूद्ध हुई जिसमें अपीलांट एवं रेस्पो. की संयुक्त खाते की कृषि भूमि में अपीलांट को अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिये है तथा संयुक्त खाते की भूमि में सभी सहखातेदारों का हक हकूक कब्जा माना जाने से सहखातेदार को अतिकमी घोषित करना नियम विरूद्ध होकर अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो. की संयुक्त खातेदारी की भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत अपीलांट को अतिकमी घोषित कर विवादित आराजी का कब्जा रेस्पो. को दिये जाने के आदेश दिये हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सन्दर्भ धारा 183 की Bare reading है कि Ejecment of certain trespassers - (1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provisions contained in sub-section (2) [on the suit of the person or persons entitled to eject him] and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year, during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

यह राजस्व विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त खाते की भूमि के हर कण पर सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जावेगा । अतः सहखातेदार को

31/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतिकमी मानने का अधी.न्यायालय का निर्णय बड़ी विधिक भूल है, साथ ही विवादित आराजी का बंटवारा का दावा ही पेश न करना न केवल वादी एवं प्रतिवादी का विधिक default है अपितु इसके अभाव में सहखातेदारों के मध्य धारा 183 का वाद ही Barred by law होना चाहिए ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2016 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि सही विधिक निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमसिंह परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)
श्रीगंगानगर